मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 28 /07/2021

क्र. एफ 16-24/2021/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स स्वराज सूटिंग भीलवाड़ा राजस्थान द्वारा, औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा, जिला नीमच में रू. 190.70 करोड़ के पूंजी निवेश से डेनिम कॉटन फेब्रिक व यार्न निर्माण परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये:-

1. **ब्याज अनुदान** :- उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अन्तर्गत टेक्सटाइल इकाईयों हेतु विशिष्ट वित्तीय सहायता के प्रावधान अनुसार शर्तो के अध्याधीन देय होगा।

2. **भूमि के विकास शुल्क में छूट** - औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा, जिला नीमच में परियोजना हेतु आवंटित 29,653 वर्गमीटर भूमि पर प्रभारित विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाये। यदि इकाई द्वारा उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो एमपीआईडीसी द्वारा जमा किये गये कुल विकास शुल्क के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाये।

3. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपी आईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

4. **हरित औद्योगिकीकरण हेतु सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) के प्रावधान अनुसार शर्तो के अध्याधीन देय होगी।

5. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तंर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्ष की अवधि में शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को योजना अन्तंर्गत प्रावधानित निर्यात एवं रोजगार गणक का लाभ शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगी।

6. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तो के अध्याधीन प्राप्त होगी।

7. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर ....

पृ.क्र. एफ 16-24/2021/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 28 /07/2021

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
6. कलेक्टर, जिला नीमच।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, प्रबंध निदेशक, मेसर्स स्वराज सूटिंग भीलवाड़ा राजस्थान, F-483 to F-486, RIICO Growth Centre, Hamlrgarh, Bhllara, Rajasthan - 311025।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग